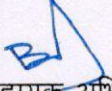


परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से
इड़िया-मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

शासनादेश की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न है।


सहायक अभियंता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर

अधिशाली अभियंता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर

संख्या- 429/11(2)/16-58(प्रो0आ0)/2013टी0सी0

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

C.E(HA)/A09-P2
28/01/16

देखादून दिनांक: 23 जनवरी, 2016

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में विभिन्न 04 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शारानादेश सं०- 1154/11(2)/14-58(प्रो0आ0)/2013 दिनांक 22-02-2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा द्वारा जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-कपकोट/बागेश्वर में संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 04 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 21.00 किमी0 तथा लागत ₹ 176.86 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 176.86 लाख (एक करोड़ छिहत्तर लाख छियासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्नक के कॉलम सं०-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 04 कार्यों हेतु ₹ 0.40 लाख (चालीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शारानादेश सं०-1764/11(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परिशोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परिशोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें श्रेडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में वचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नज़र रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मेनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शारानादेश सं०- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, ग्रेटिलिटी शिपिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-22-लेखापीरक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्यय में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D Bageshwar

-2-

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशारी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखापीछक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य सड़कों -आयोजनागत -000-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे खाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अज्ञासकीय संख्या-706/XXVII(2)/2015 दि०-20 जनवरी, 2016 को प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
प्रमोरी सचिव

संख्या:- (1)/111(2)/16-58(प्र०आ०)/2013टी०सी० तदुद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, कुमार्थू मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
4. मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/बागेश्वर।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशारी अभियन्ता लो०नि०वि०, बागेश्वर/कपकोट।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ए०एस०पांगती)
उप सचिव

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

शासनादेश संख्या:- 429 / 111(2) / 16-53(प्रोआओ) / 2013 टी०सी० दिनांक 23 जनवरी, 2016 का संलग्नक (धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	कुल स्वीकृत लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवशेषित धनराशि
1	2	3	4	5
1	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-कपकोट के अन्तर्गत काण्डा-सानिउडियार मोटर मार्ग के स्थान रावतसेरा-डोवारगाड़ा-धारीमधिया मोटर मार्ग तक निर्माण कार्य।	5.00	27.50	0.10
2	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इडिया-मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	6.00	83.76	0.10
3	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-कपकोट के अन्तर्गत कन्यालीकोट पेशासी मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	5.00	32.80	0.10
4	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-कपकोट के अन्तर्गत गैरखेत लखमारा मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	5.00	32.80	0.10
	योग:-	21.00	176.86	0.40

(कुल ₹ चालीस हजार मात्र)

(पुष्पांगिता)
उप सचिव

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar